nwda.gov.in

दिनांक 26.02.2020 को नई दिल्ली मेंजल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लए वशेष स मति (आईएलआर) की सत्रहवीं (17वीं) बैठक के कार्यवृत्त।

दिनांक 26.02.2020 को नई दिल्ली में नदियों को आपस में जोड़ने के लए वशेष स मति (एससीआईएलआर) की सत्रहवीं (17वीं) बैठक माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और अन्य अ धकारियों की सूची अनुलग्नक-I पर है ।

स चव श्री यू पी संह,जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन ,नदी वकास एवं गंगा संरक्षण वभाग ने जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया और व भन्न केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संगठनों के सदस्यों/ प्रतिनि धयों का स्वागत कया। उन्होंने संकेत दिया क नदियों को आपस में जोड़ने की प्र क्रया में तेजी लाने के लए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर आईएलआर के लए वशेष स मति का गठन कया गया है। इसके बाद उन्होंने माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री और बैठक के अध्यक्ष से उनकी प्रारं भक टिप्पणी के लए अनुरोध कया।

माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने व भन्न केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संगठनों के सभी सदस्यों और प्रतिभा गयों तथा नदियों को आपस में जोड़ने के लए वशेष स मति की बैठक में उपस्थित अन्य प्रतिभा गयों का हार्दिक स्वागत कया।

माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने उल्लेख कया क राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार नदी को आपस में जोड़ना हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संचाई, पेयजल, वद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और सूखा प्रवण क्षेत्र की जल आवश्यकता को पूरा करने के लए अ धशेष नदी बे सनों से जल को कम नदी बे सनों में स्थानांतरित करते हुए है।

माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने आगे कहा क अंतर-राज्यीय नदी जोड़ परियोजनाएं कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। राज्यों के बीच जल का बंटवारा, हिमालयी घटकों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, परियोजना प्रभा वत परिवारों का

पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा उनके सामाजिक-आ र्थक आरक्षण आदि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इंटर लं कंग परियोजना को वास्त वक बनाने के लए ध्यान दिया जाना है। श्री गजेन्द्र संह शेखावत माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के नेतृत्व में, राष्ट्रीय जल वकास अ भकरण और जल शक्ति मंत्रालय इंटर लं कंग परियोजनाओं, वशेषरूप से चार प्राथ मकता वाली अंतरराज्यीय लंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।

केन-बेतवा, दमनगंगा- पंजल और पार-तापी-नर्मदा की डीपीआर तथा गोदावरी-कावेरी की डीपीआर का प्रारूप पूरा कर लया गया है। चार अंतरराज्यीय लंकों की डीपीआर भी पूरी कर ली गई है और महाराष्ट्र राज्य के दो अंतरराज्यीय लंकों की डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

माननीय मंत्री जी ने आगे संकेत दिया क जल हम सभी के लए सबसे महत्वपूर्ण वषय है। बढ़ती जनसंख्या के लए पीने, संचाई, उद्योग और अन्य जरूरतों के लए पानी की आवश्यकता को पूरा करते हुए मुख्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नदी परियोजनाओं को आपस में जोड़ने के कार्यान्वयन के लए सभी हतधारकों का सहयोग आवश्यक है और इन परियोजनाओं को वास्त वकता बनाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी हतधारकों से राष्ट्रीय हत में और देश की जल सुरक्षा के लए आईएलआर परियोजनाओं को पूरा करने के लए आगे आने की अपील की।

अपने उद्घाटन भाषण का समापन करते हुए, माननीय राज्य मंत्री ने संकेत दिया क संबं धत राज्यों और अन्य संस्थानों के सहयोग और समर्थन से पहली आईएलआर परियोजना अर्थात केन-बेतवा लंक का कार्यान्वयन जल्द ही एक वास्त वकता बन सकता है। उन्होंने एक बार फर बैठक में स क्रय भागीदारी और सार्थक चर्चा के लए सभी प्रतिभा गयों का स्वागत कया।

स चव श्री यू पी संह ,जल संसाधन ,नदी वकास एवं गंगा संरक्षण वभाग,जल शक्ति मंत्रालय ने संकेत दिया क लंबे समय से नदियों को आपस में जोड़ने की अवधारणा पर वचार- वमर्श के बावजूद आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में वांछित प्रगति हा सल नहीं की जा सकी है। ऐसी बड़ी जल संसाधन अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आमतौर पर लंबा समय लगता है। देश में कई जल संसाधन परियोजनाओं को वास्त वक बनने में

दशकों लग गए। आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मुख्य बाधा संबं धत राज्यों के बीच जल बंटवारे पर आम सहमति तक पहुंचना है। जिन राज्यों में अ धशेष जल है, वे अ धशेष जल की उपलब्धता के लए सहमत नहीं हैं। वत्तपोषण का मुद्दा अभी तक एक और बाधा है क्यों क अ धकांश राज्य आईएलआर परियोजनाओं के लए 90 (केंद्र) : 10 (राज्य) वत्तपोषण के लए जोर दे रहे हैं। व भन्न नदी बे सनों के लए कुछ मौजूदा ट्रिब्यूनल अवार्ड्स भी आईएलआर कार्यक्रम में बाधा हैं क्यों क ये अवार्ड्स इसकी बे सन सीमा के बाहर पानी के अंतरण की अनुमति नहीं देते हैं। कतिपय राज्य स्थलाकृतिक बाधाओं के कारण अपने आबंटित हिस्से के जल का उपयोग करने में असमर्थ हैं। इसके बाद उन्होंने राज वअके महानिदेशक श्री भोपाल संह और आईएलआर के लए वशेष स मति के सदस्य स चव का भी परिचय कराया, जिन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला है और कार्यसूची वषयों को शुरू करने का अनुरोध कया है।

महानिदेशक ,राज वअ ने माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री और बैठक के अध्यक्ष ,स चव, जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन ,नदी वकास एवं गंगा संरक्षण वभाग तथा सदस्य, वशेष आमंत्रित, वशेषज्ञ और बैठक के अन्य प्रतिभा गयों का स्वागत कया। इस के साथ साथ चर्चा के लए एजेंडा मद भी उठाए।

मद संख्या 17.1:दिनांक 21.08.2019 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लए वशेष स मति की 16 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

महानिदेशक,राज वअ ने बताया क नई दिल्ली में 21 अगस्त, 2019को आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लए वशेष स मति (एससीआईएलआर) की16 वीं बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों को दिनांक 15.10.2019 के पत्र के माध्यम से परिचा लत कया गया था। त मलनाडु सरकार ने दिनांक 03.02.2020 के पत्र के माध्यम से अपनी टिप्प णयां भेजी हैं और राज वअ द्वारा इसे स्पष्ट कया गया था।

चूं क कोई अन्य टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, इस लए त मलनाडु सरकार की टिप्प णयों पर ध्यान देते हुए परिचा लत कए गए कार्यवृत्तों की पुष्टि की गई थी । (अनुलग्नक 17.1.1)

मद संख्या 17.2: वस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रगति पर है।

1.कावेरी (कट्टालाई) – वैगई – गुंडर लंक (आईबीडब्लूटी)

महानिदेशक,राज वअ ने बताया क कावेरी (कट्टालाई) - वैगई-गुंडर लंक की डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने संकेत दिया क राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत महानदी-गोदावरी कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडर लं कंग योजना को नौ लंक प्रणाली के रूप में चह्नित कया गया है। कावेरी (कट्टालाई)-वैगई-गुंडर लंक परियोजना नौ लंक प्रणाली का अंतिम चरण है। कावेरी (कट्टालाई)-वैगई गुंडर लंक के लए डीपीआर का प्रारूप मार्च, 2020 तक पूरा कर लया जाएगा।

2. बेदती - वरदा लंक (आईबीडब्लूटी)

महानिदेशकराज वअ ने सू चत कया क राज वअ ने कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्ता वत अनुरोध और वैकल्पिक रूप से बेदती-वरदा लंक की डीपीआर तैयार करते हुए शुरू कर दिया है और इसे मार्च 2021 तक पूरा कर लया जाएगा।

3. दमनगंगा (एकदरे) - गोदावरी लंक (अंतर-राज्यीय)

महानिदेशक,राज वअ ने सू चत कया क महाराष्ट्र के दमनगंगा (एकदरे) - गोदावरी अंतर-राज्यीय लंक की डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। इस लंक परियोजना में पश्चिम की ओर बहने वाली दमनगंगा नदी से गोदावरी बे सन के जल की कमी वाले क्षेत्रों में 143 ममी 3 की सीमा तक अ धशेष जल के अंतरण की परिकल्पना कीगई है। ना सक जिले की घरेलू, संचाई और औद्यो गक आवश्यकताओं को पूरा करने के लए महाराष्ट्र सरकार द्वारा यथा प्रस्ता वत वागड़ जलाशय को जल हस्तांतरित कया जाएगा। जून, 2021 तक डीपीआर पूरी हो जाएगी।

4. दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी लंक (अंतर-राज्यीय)

महानिदेशक,राज वअ ने बताया क महाराष्ट्र के दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी अंतर-राज्यीय लंक की डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। इस परोजिना मेंदमनगंगा और वैतरणा बे सनों से गोदावरी बे सन में 202 ममी जल के पथांतरण की परिकल्पना की गई है। डीपीआर जून 2021 तक पूरा होने वाला है।

स मति के सदस्यों द्वारा जानकारी नोट की गई

मद संख्या 17.3: वस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी हो गई / व्यवहार्यता रिपोर्ट

I. केन-बेतवा लंक परियोजना

महानिदेशक,राज वअ ने सू चत कया क केन-बेतवा लंक परियोजना (चरण-I, II और इसकी व्यापक डीपीआर) की डीपीआर राज वअ द्वारा पूरी कर ली गई थी और इसे पार्टी राज्यों और केंद्रीय जल आयोग को परिचा लत कया गया था। केन-बेतवा लंक परियोजना के कार्यान्वयन और जल बंटवारे के लए समझौता ज्ञापन का प्रारूप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सरकारों के साथ वचार-वमर्श कया जा रहा है। केन-बेतवा लंक परियोजना में शा मल व भन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लए माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 25 फरवरी 2020 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक की।

लंक परियोजना के लए अ धकांश स्वीकृतियां पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं, हालां क उच्चतम न्यायालय की केंद्रीय सशक्तिकरण स मति (सीईसी) ने अगस्त 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी टिप्प णयां प्रस्तुत कर दी हैं। महानिदेशक ने संकेत दिया क पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के निदेशानुसार लैंडस्केप प्रबंधन योजना का भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा अध्ययन कया जा रहा है और यह इस वर्ष तक पूरा हो जाएगा।

अपर मुख्य स चव, जल संसाधन, मध्य प्रदेश सरकार ने संकेत दिया क मध्य प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश के साथ जल बंटवारे के मुद्दे को हल करने के लए जल शक्ति मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने इसका जवाब दिया है। मुख्य मुद्दा गैर-मानसून अव ध में पानी का बंटवारा है। उन्होंने यह भी कहा पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6017 हैक्टेयर राजस्व भू म की पहचान करने और पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के अ धकारियों को इसके अंतरण की शर्त के साथ चरण-I वन भू म पथांतरण मंजूरी प्रदान की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार पन्ना टाइगर रिजर्व प्रा धकारियों को अंतरण के लए केवल 4206 हैक्टेयर राजस्व भू म की पहचान कर सकी है। 1811 हेक्टेयर के शेष क्षेत्रों के लए, उन्होंने व्यक्त कया क

इसके बदले, दोगुनी अवक्र मत वन भू म में वनीकरण की अनुमति दी जा सकती है। स चव (जल संसाधन ,नदी वकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने बताया क 30 जुलाई, 2018 के पत्र के माध्यम से इस संबंध में स चव (पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) से पहले ही अनुरोध कया जा चुकाहै। अवक्र मत वन भू म के दोगुने हिस्से में प्रतिपूरक वनीकरण पर वचार करते हुए एक सामान्य प्रथा है और इसे पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयद्वारा स्वीकार कया जाना चाहिए।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनि ध ने सू चत कया है क राज वअ ने 1811 हैक्टेयर राजस्व भू म में छूट का मामला पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयके साथ उठाया है। उन्होंने यह भी उल्लेख कया क पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार से पूर्व में की गई शर्तों के अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध कया है।

स चव ,जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन ,नदी वकास एवं गंगा संरक्षण वभाग ने आगे कहा क परियोजना के लए पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एनपीवी जमा करने पर जोर देना, जिसे अभी तक अनुमोदित नहीं कया गया है, उ चत नहीं है। उन्होंपर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयसे शर्त में ढील देने का अनुरोध कया और मध्य प्रदेश से अनुरोध कया क वह इस मामले को पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयके साथ स्वीकृति के लए उठाए और शर्तों का अनुपालन पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयको भी सौंपे।

स चव जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन ,नदी वकास एवं गंगा संरक्षण वभाग ने संकेत दिया क दो राज्यों के बीच जल बंटवारे के मुद्दों के अलावा, पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयऔर माननीय उच्चतम न्यायालय से सां व धक मंजूरी, वत्तपोषण पैटर्न आदि जैसी कई अन्य चुनौतियां हैं। राष्ट्रीय हरित अ धकरण और माननीय उच्चतम न्यायालय में सां व धक स्वीकृतियों की चुनौतियों का मंत्रालय द्वारा अनुसरण कया जा रहा है। परियोजना के लए दोनों राज्यों द्वारा यथाउद्दे शत 90 (केन्द्र) : 10 (राज्य) का वत्तपोषण पैटर्न शुरू कर दिया गया है, जैसा क मौजूदा 60 (केंद्र) : 40 (राज्य) की तुलना में परियोजना के लए जोर दिया गया है। उन्होंने दोनों

राज्यों से सहकारी संघवाद पर वचार करते हुए सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का अनुरोध कया।

प्रस्ता वत कमांड क्षेत्र की संचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लए वशेष अ भकरणो के माध्यम से जांच करने के लए केंद्रीय सशक्तिकरण स मति (सीईसी) की सफारिशों के संबंध में, केन-बेतवा लंक परियोजना के वकल्प के बारे में, वशेष स मति की राय थी क केन-बेतवा लंक परियोजना की डीपीआर तैयार करते समय, सभी उपलब्ध वकल्पों की जांच की गई थी और कमांड क्षेत्र की संचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लए परियोजना एकमात्र सर्वोत्तम वकल्प है जो सूखा प्रवण बुंदेलखंड क्षेत्र को राहत प्रदान करेगा। सीईसी को तदनुसार सू चत कया जा सकता है।

स मति के सदस्य और उप स मति-II के अध्यक्ष प्रो पी बी एस शर्मा ने संकेत दिया क उप-स मति-II का अ धदेश "सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लए प्रणाली अध्ययन" के लए है, जो अपनी बैठकों के दौरान व भन्न वैकल्पिक योजनाओं की जांच कर रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय को इस बारे में अवगत कराया जाए।

स मति के सदस्य श्री ए डी मोहिले ने संकेत दिया क उप-स मति-II को सौंपा गया अ धदेश आईएलआर परियोजनाओं के लए सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान करते हुए है। अत आईएलआर परियोजना के वैकल्पिक वकल्पों पर उप-स मति-II की सफारिशों को माननीय उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाया जा सकता है।

II. दमनगंगा- पंजल और पार-तापी-नर्मदा लंक परियोजनाएं- डीपीआर की वर्तमान स्थिति

महानिदेशक,राज वअ ने बताया क दमनगंगा- पंजल लंक परियोजना और पार-तापी-नर्मदा लंक परियोजना की डीपीआर पूरी कर ली गई है और दमनगंगा- पंजल लंक की तकनीकी-आ र्थक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। पार-तापी-नर्मदा लंक परियोजना का तकनीकी-आ र्थक मूल्यांकन अ ग्रम चरण में है/ट् वन लंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लए समझौता ज्ञापन के पर गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों के साथ वचार- वमर्श कया जा रहा है।

उकाई जलाशय के अपस्ट्रीम क्षेत्र में तापी बे सन में अपने हिस्से (महाराष्ट्र जलग्रहण से उत्पन्न जल और पार-तापी-नर्मदा लंक के माध्यम से पथांतरण के लए वचार कया जाता है) की क्षतिपूत के लए महाराष्ट्र की मांग के संबंध में, गुजरात सरकार के प्रतिनि ध ने संकेत दिया क गुजरात पहले से ही उकाई जलाशय से 5200 एमसीएम पानी का उपयोग कर रहा है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए, महाराष्ट्र सरकार की मांग पार-तापी के अपने हिस्से की क्षतिपूर्ति करने के लए मांग करती है-

तापी बे सन में उकाई जलाशय से नर्मदा लंक व्यवहार्य नहीं है और महाराष्ट्र से अपनी मांग पर पुन र्वचार करने का अनुरोध कया।

स मति के सदस्य और कार्यबल के अध्यक्ष श्री श्रीराम वदेरे ने बताया क आईएलआर के लए कार्यबल अपनी अगली बैठक में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरकारों के बीच पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा- पंजल लंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शा मल मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

III. कावेरी बे सन तक गोदावरी जल के पथांतरण का वैकल्पिक प्रस्ताव

महानिदेशक,राज वअ ने सू चत कया क गोदावरी-कावेरी वैकल्पिक लंक योजना के अंतर्गत गोदावरी-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लंक, कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमा सला) लंक और पेन्नार (सोमा सला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लंक के तीन लंकों की डीपीआर तैयार करने का काम पूरा कर लया गया है और डीपीआर का प्रारूप मार्च, 2019 में पार्टी राज्यों को परिचा लत कर दिया गया था। त मलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार से टिप्प णयां प्राप्त हुई हैं और इन्हें अंतिम डीपीआर में शा मल कया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया क ओ डशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्यों से टिप्प णयों की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्यों से अनुरोध कया गया था क वे बिना कसी वलंब के राज वअ को अपनी टिप्प णयां भेजें ता क गोदावरी-कावेरी लंक की डीपीआर को पार्टी राज्यों की टिप्प णयों पर वचार करते हुए अंतिम रूप दिया जा सके।

छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनि ध ने बताया क भ वष्य में छत्तीसगढ़ गोदावरी बे सन में कुछ नई परियोजनाओं की योजना बना सकता है और उनका निर्माण कर सकता है ता क उनके हिस्से के पानी का उपयोग कया जा सके।

स चव ,जल संसाधन तथा नदी वकास एवं गंगा संरक्षण ,जल शक्ति मंत्रालय ने बताया क अ धशेष जल वाले कतिपय राज्य व भन्न कारणों और भौगो लक बाधाओं के कारण इसका उपयोग करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा क ऐसे राज्यों को अ धशेष जल के बंटवारे के लए प्रोत्साहित करने के लए क्षतिपूत करने के लए एक तंत्र तैयार कया जा सकता है ता क अतिरिक्त जल को व्यापक राष्ट्रीय हित में वक सत कया जा सके।

श्री एम गोपालकृष्णन ने संकेत दिया क यदि हम भारत के भीतर जल अ धशेष राज्यों की क्षतिपूत करने पर वचार करते हैं, तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे में भारत को बहुत नुकसान होगा क्यों क नेपाल भी इसी शर्त की मांग कर सकता है। स चव,जल संसाधन तथा नदी वकास एवं गंगा संरक्षण ,जल शक्ति मंत्रालय ने उल्लेख कया क हमें इस पर वचार करना चाहिए।

स मति के सदस्य और कार्यबल के अध्यक्ष श्री श्रीराम वदेरे ने बताया क छत्तीसगढ़ सरकार ने यदि पानी की क्षतिपूत की जाती है तो उसे बांटने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने यह भी संकेत दिया क तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य गोदावरी से कृष्णा को पानी स्थानांतरित करने के लए अपने स्वयं के तंत्र के साथ स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हम तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध कर सकते हैं क वे अपनी प्रति क्रया भेजें या वशेष स मति की बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा करें ता क डीपीआर को अंतिम रूप देते समय इस पर वचार कया जा सके। तेलंगाना के प्रतिनि ध ने 15 दिनों के भीतर डीपीआर पर टिप्प णयां भेजने पर सहमति व्यक्त की।

स मति के सदस्य श्री ए डी मोहिले ने उल्लेख कया क कसी अ धकरण ने कसी भी राज्य को जल की संप त्त का अ धकार नहीं दिया है, ले कन केवल उपयोग करने का अ धकार दिया है। उन्होंने यह भी उल्लेख कया क कोई भी अ धकरण यह स्वीकार नहीं करता है क कृष्णा अ धकरण बे सन के बाहर

पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, क्यों क इस तरह जल अ धशेष राज्यों को क्षतिपूत करने पर वचार नहीं कया जाना चाहिए।

त मलनाडु के प्रतिनि ध ने सू चत कया क माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल के निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लेख कया है क जल एक राष्ट्रीय संप त्त है और कोई भी राज्य स्वा मत्व का दावा नहीं कर सकता है।

कर्नाटक के प्रतिनि ध ने गोदावरी-कावेरी लंक परियोजना से अपने हिस्से के जल का उल्लेख करने का अनुरोध कया। आन्ध्र प्रदेश के प्रतिनि ध ने सू चत कया क उन्होंने राज वअ से कुछ सूचना का अनुरोध कया है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

मद संख्या 17.4: व्यवहार्यता रिपोर्ट की स्थिति

1. मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एमएसटीजी) लंक

महानिदेशक,राज वअ ने बताया क मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एमएसटीजी) लंक परियोजना एक अन्योन्या श्रत लंक है जिसमें मानस, संकोश, ऐई, रायदक, तोरसा और जलढाका नदी से अतिरिक्त जल को गंगा नदी और आगे द क्षण की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे पार्टी राज्यों के बीच परिचा लत कया जाएगा।

स मति के सदस्यों द्वारा जानकारी नोट की गई।

मद संख्या 17.5: अंतर-राज्य लंक प्रस्तावों की स्थिति

महानिदेशकराज वअ ने सू चत कया क राज वअ को 9 राज्यों से अंतर-राज्यीय लंकों के 47 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 37 अंतर-राज्यीय लंकों की व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्टें (पीएफआर) पूरी कर ली गई हैं। 4 अंतर-राज्यीय लंकों की डीपीआर पूरी कर ली गई है और संबं धत राज्य सरकारों को भेज दी गई है। महाराष्ट्र के दमनगंगा (एकदारे)-गोदावरी लंक और दमनगंगा-वैतरणा गोदावरी लंक की डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

कर्नाटक के प्रतिनि ध ने त मलनाडु की पोन्नैयार-पलार लंक परियोजना की योजना में बंगलुरु शहर के घरेलू जल उपयोग से पुनरुत्पादित जल पर वचार करने का मुद्दा उठाया।

मद संख्या 17.6: राष्ट्रीय जल वकास अ भकरण का पुनर्गठन

महानिदेशकराज वअ ने बताया क राज वअ के बढ़े हुए अ धदेश के कारण इसका कार्य भार कई गुना बढ़ गया है क्यों क राज वअ का इस तरह का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। इस संबंध में जल शक्ति मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत कया गया है और जल शक्ति मंत्रालय ने सू चत कया है क राज वअ के सुदृढ़ीकरण पर एनआईएआरए (नीरा) के साथ वचार कया जाएगा।

यह जानकारी स मति मद संख्या 17.7 के सदस्यों द्वारा नोट की गई थी:

नदियों को आपस में जोड़ने के लए कार्य बल

महानिदेशकराज वअ ने सू चत कया क आईएलआर के लए कार्यबल आईएलआर के लए वशेष स मति की सहायता कर रहा है और अब तक 11 बैठकें आयोजित की गई हैं और पछली बैठक दिनांक 18.10.2019 को आयोजित की गई थी।

वशेष स मति के सदस्य और कार्यबल के अधयक्ष श्री श्रीराम वदेरे ने बताया क कार्यबल ने अपनी 11वीं बैठक में वास्त वक मूल्यांकन के लए एनपीपी के हिमालयी घटकों का गंभीर रूप से वश्लेषण कया है और नेपाल और भूटान के साथ मुद्दों का पता लगाया है। नेपाल के साथ मुद्दों के संबंध में, कार्यबल के अध्यक्ष ने राज वअ को नेपाल के साथ वचार- वमर्श करने के लए जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से वदेश मंत्रालय से संपर्क करने का सुझाव दिया। भूटान के साथ मुद्दों के बारे में, उन्होंने उल्लेख कया क मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एमएसटीजी) लंक भूटान पर निर्भर करता है। संकोश नदी पर संकोश जल वद्युत परियोजना की योजना बनाई गई है जो एमएसटीजी लंक की योजना का भी एक हिस्सा है। भूटान के साथ अब तक केवल पावर शेयरिंग पर काम कया गया है। वद्युत उत्पादन के बाद संकोश एचईपी के नीचे बहने वाले संकोश जल को भारत द्वारा एमएसटीजी लंक के माध्यम से पथांतरण के लए नियोजित करने की योजना बनाई गई है और इस मुद्दे पर भूटान के साथ चर्चा कए जाने की आवश्यकता है।

स मति के सदस्य श्री ए डी मोहिले ने कहा क स्था पत परिपाटी के अनुसार हमारे देश में सीमा पार से बहने वाले जल का उपयोग हमारी अपनी प्राथ मकता और योजना के अनुसार कया जा सकता है और इस पर अन्य देश के साथ चर्चा नहीं की जा सकती है।

स मति के सदस्यों द्वारा जानकारी नोट की गई थी।

मद संख्या 17.8: पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का पार्वती-काली संध-चंबल लंक के साथ एकीकरण

महानिदेशक,राज वअ ने बताया क आईएलआर के लए कार्यबल ने18.10.2019 को आयोजित अपनी 11 वीं बैठक में एनपीपी के पार्वती काली संध-चंबल (पीकेसी) लंक को राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ एकीकृत करने की संभावना पर चर्चा की। तत्पश्चात् मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के साथ आईएलआर के लए कार्यबल के अध्यक्ष द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी और यह निर्णय लया गया था क राज वअ को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ एनपीपी के पार्वती-काली संध-चंबल के एकीकरण की व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करनी चाहिए। तदनुसार, राज वअ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ पार्वती-काली संध-चंबल के एकीकरण की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है और इसे मार्च 2020 तक पूरा कर लया जाएगा।

यह जानकारी स मति मद संख्या 17.9 के सदस्यों द्वारा नोट की गई थी:

नदियों को जोड़ने का राष्ट्रीय नदी जोड़ प्रा धकरण (एनआईआरए)(नीरा)

महानिदेशक,राज वअ ने बताया क एनआईआरए(नीरा) के लए एक प्रारूप कैबिनेट नोट और एनआईआरए(नीरा) के गठन के लए प्रारूप वधेयक तैयार कर लया गया है और इसे जल शक्ति मंत्रालय को भेज दिया गया है।

कैबिनेट नोट में आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन और आईएलआर कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन के लए राष्ट्रीय नदियों जोड़ प्रा धकरण (एनआईआरए) की स्थापना के लए वत्तपोषण पैटर्न पर अनुमोदन मांगे गए हैं। स चव,जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन ,नदी वकास एवं गंगा संरक्षण वभाग ने सू चत कया क कैबिनेट नोट संबं धत मंत्रालयों को परिचा लत कया गया था और व भन्न मंत्रालयों से टिप्प णयां प्राप्त हुई हैं। इन टिप्प णयों को संक लत कया जा रहा है।

यह जानकारी अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

अनुलग्नक - I

नई दिल्ली में दिनांक 26 फरवरी, 2020 को आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लए वशेष स मति की 17 वीं बैठक के सदस्यों, वशेष आमंत्रितों और प्रतिभा गयों की सूची।

1	श्री रतन लाल कटारिया, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	श्री यू पी संह, स चव, जल शक्ति मंत्रालयजल संसाधन ,नदी वकास एवं गंगा संरक्षण वभाग ,भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
3	श्री श्रीराम वेदीरे, सलाहकार, माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालयजल संसाधन ,नदी वकास एवं गंगा संरक्षण वभाग,भारत सरकार, नई दिल्ली और अध्यक्ष, आईएलआर के लए टास्क फोर्स	सदस्य
4	श्री एस.के हलदर, सदस्य (डब्लू पी एवं पी), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनि धत्व करते हुए
5	श्री एम गोपाल रेड्डी, अपर मुख्य स चव, जल संसाधन वभाग, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य

6	श्री टी वेंकटेश, प्रधान स चव, संचाई जल संसाधन, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
7	डॉ के म णवासन, प्रधान स चव, लोक निर्माण वभाग, त मलनाडु सरकार	सदस्य
8	ए वेणु प्रसाद, प्रधान स चव, जल संसाधन, पंजाब सरकार	सदस्य
9	श्री मृण्मय जोशी, उप स चव, जल संसाधन वभाग, केरल सरकार	आयुक्त और स चव, जल संसाधन वभाग, केरल सरकारका प्रतिनि धत्व करते हुए
10	श्री जिगमेट तकपा, संयुक्त स चव, पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार	स चव,पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनि धत्व करते हुए।
11	श्री एम वेंकटेश्वर राव, सलाहकार, जल संसाधन वभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	अपर मुख्य स चव, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनि धत्व करते हुए
12	श्री के जयप्रकाश, प्रबंध निदेशक, कावेरी नीरावरी निगम ल मटेड जल संसाधन वभाग, कर्नाटक सरकार	प्रधान स चव, कर्नाटक सरकार का प्रतिनि धत्व करते हुए

13	श्री संदीप तनेजा मुख्य अ भयंता, यमुना जल सेवा (द क्षण), हरियाणा सरकार	प्रधान स चव, हरियाणा सरकार का प्रतिनि धत्व करते हुए
14	इंजीनियर जयंत पवार, मुख्य अ भयंता, जल संसाधन वभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार	प्रधान स चव, छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनि धत्व करते हुए
15	श्री एम आर पटेल, मुख्य अ भयंता और अपर स चव, जल संसाधन वभाग, गुजरात सरकार	प्रधान स चव, गुजरात सरकार का प्रतिनि धत्व करते हुए
16	श्री र व सोलंकी, अपर मुख्य अ भयंता, जल संसाधन वभाग, राजस्थान सरकार	प्रधान स चव, राजस्थान सरकार का प्रतिनि धत्व करते हुए
17	श्री नागेश मश्र, मुख्य अ भयंता, योजना एवं परियोजना निगरानी, जल संसाधन वभाग, झारखण्ड सरकार	प्रधान स चव, झारखंड सरकार का प्रतिनि धत्व करते हुए
18	श्री प्रदीपता कुमार दास, मुख्य अ भयंता -सह- वशेष स चव, जल संसाधन वभाग, ओ डशा सरकार	प्रधान स चव, ओ डशा सरकार का प्रतिनि धत्व करते हुए
19	श्री जी डी नरहरि बाबू, अधीक्षण अ भयंता,आईएसडब्लू आरइकाई, जल संसाधन वभाग, तेलंगाना सरकार	प्रमुख स चव, जल संसाधन वभागतेलंगाना का प्रतिनि धत्व करते हुए,

20	श्री शंकर कुमार साहा, अधीक्षण अ भयंता, संचाई वभाग, उत्तराखण्ड सरकार	प्रमुख स चव, जल संसाधन वभागउत्तराखंड का प्रतिनि धत्व करते हुए,
21	डॉ रमेश चंद, सदस्य (कृ ष), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
22	श्री आर एस प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली -	सदस्य
23	श्री एम गोपालकृष्णन, पूर्व स चव, आईसीआईडी, नई दिल्ली	वशेष आमंत्रित सदस्य
24	प्रो पी बी एस शर्मा (सेवानिवृत्त) सीईडी, आईआईटी दिल्ली और आईएलआर के लए वशेष स मति की उप स मति-II के अध्यक्ष	वशेष आमंत्रित सदस्य
25	श्री एडी मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	वशेष आमंत्रित सदस्य
26	श्रीमती सयाली संदीप जोशी, सीईओ-सृष्टि पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान पुणे, महाराष्ट्र	सदस्य
27	श्री अजय कुमार संह, अध्यक्ष एवं सीटीओ, परामर्शन इंजीनियर्स प्राइवेट ल मटेड नागपुर महाराष्ट्र	सदस्य

28	श्री अमरदीप संह चौधरी, मुख्य सलाहकार (लागत), ओ/ओ सीएसी, वत्त मंत्रालय, व्यय वभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली	प्रमुख सलाहकार (लागत), वत्त मंत्रालय, व्यय वभाग का प्रतिनि धत्व करते हुये
29	श्री भोपाल संह, महानिदेशक, राज वअ, नई दिल्ली	सदस्य स चव
	जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन ,नदी वकास एवं गंगा संरक्षण वभाग के अ धकारी	
30	श्री जगमोहन गुप्ता, संयुक्त स चव और वत्त सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन ,नदी वकास एवं गंगा संरक्षण वभाग , भारत सरकार, नई दिल्ली	
31	श्री टीडी शर्मा, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम), जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन ,नदी वकास एवं गंगा संरक्षण वभाग, नई दिल्ली	
32	श्री राजीव कुमार, निदेशक, पीएसीसी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	
	केंद्रीय मंत्रालयों और वभागों के अ धकारी	
33	सुश्री रचना चोपड़ा, अपर मुख्य सलाहकार (लागत), ओ/ओ सीएसी, वत्त मंत्रालय, व्यय वभाग, नई दिल्ली	

34	श्री प्रवीण क व, उप निदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार
	राज्य सरकार के अ धकारी
35	श्री श्रीरामैया, प्रधान तकनीकी सलाहकार, जल संसाधन वभाग, कर्नाटक सरकार
36	श्री शंकरे गौड़ा, मुख्य अ भयंता, जल संसाधन वभाग, कर्नाटक सरकार
37	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अ भयंता और वभागाध्यक्ष, संचाई वभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
38	श्री टी सी शर्मा, मुख्य अ भयंता (गंगा), संचाई, , मेरठ उत्तर प्रदेश, सरकार
39	श्री अनिल कुमार संह, मुख्य अ भयंता (यमुना), संचाई, उत्तर प्रदेश ,सरकार
40	श्री जगदीश संह, मुख्य अ भयंता, परियोजना बेतवा, झाँसी, उत्तर प्रदेश ,सरकार
41	श्री अवधेश कुमार, अधीक्षण अ भयंता, संचाई वभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार

42	श्री आशीष पांडे, पी.आर., उत्तर प्रदेश, सरकार
43	श्री केपी पांडे, कार्यकारी अ भयंता, उत्तर प्रदेश संचाई, लखनऊ
44	श्री आशुतोष दास, अधीक्षण अ भयंता, अंतरराज्यीय जल निर्गम प्रकोष्ठ, जल संसाधन वभाग, ओ डशा सरकार
45	श्री ओपी संह कुशवाह, वशेषज्ञ सलाहकार, जल संसाधन वभाग, मध्य प्रदेश सरकार
46	श्री शव कुमार, कार्यकारी अ भयंता, सीडी-XIV, आई एंड एफसी वभाग, सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
47	श्री टी गरिधरा राव, उप निदेशक, आईएस एंड डब्ल्यूआर का कार्यालय, जल संसाधन वभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
48	श्री वजय कुमार पी.जी., नोडल अ धकारी, जल संसाधन वभाग, केरल सरकार

49	श्री राजेश एम पटेल, अधीक्षण अ भयंता, जल संसाधन वभाग, गुजरात सरकार
50	श्री जेके त्रिवेदी, अधीक्षण अ भयंता, जल संसाधन वभाग, गुजरात सरकार
51	इंजीनियर से लस्टिन सासा , मुख्य अ भयंता निगरानी, जल संसाधन वभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
52	श्री केएस ध्रुव, मुख्य अ भयंता, महानदी परियोजना, रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार
53	श्रीमती करण आहूजा, अधीक्षण अ भयंता, जेपीआर जोन, राजस्थान सरकार
54	श्री एमडी पारीक, प्रशासनिक अ धकारी, राजस्थान सरकार
55	श्री अनुराग शर्मा, सहायक अ भयंता, आई एस डब्लू आर, तेलंगाना सरकार
56	श्री के प्रसाद, उप निदेशक, ईई ओ / ओ सीई, आईएसडब्ल्यूआर, तेलंगाना सरकार

	राष्ट्रीय जल वकास अ भकरण के अ धकारी
57	श्री आरके जैन, मुख्य अ भयंता (मुख्यालय), नई दिल्ली
58	श्री केपी गुप्ता, निदेशक (तक), नई दिल्ली
59	श्री मुजफ्फर अहमद, अधीक्षण अ भयंता, नई दिल्ली
60	श्री अफरोज आलम, अधीक्षण अ भयंता, नई दिल्ली
61	श्री आरके शर्मा, उप निदेशक, नई दिल्ली
62	श्री एसआर माहौर, उप निदेशक, नई दिल्ली
63	श्री राकेश कुमार गुप्ता, कार्यकारी अ भयंता (मुख्यालय), नई दिल्ली

64	श्री अनिल कुमार जैन, उप निदेशक (एस सी आई एल आर), नई दिल्ली
65	श्री पी वी बैजू, सलाहकार नई दिल्ली
66	श्री एस सी मंगल, सहायक निदेशक, नई दिल्ली
67	श्री बी.के टंडेल, सहायक अ भयंता, नई दिल्ली

एससीआईएलआर/तक/400/1/2020/740 दिनांक: 24 फरवरी, 2020

सेवा में,

प्रधान स चव,

त मलनाडु सरकार,

लोक निर्माण वभाग

स चवालय, चेन्नई -60 0009

वषय:नदियों को आपस में जोड़ने के लए वशेष स मति की 16 वीं बैठक, राष्ट्रीय जल वकास अ भकरण सोसाइटी की वशेष स मति की 6 वीं बैठक और दिनांक 21.08.2019 को नई दिल्ली में आयोजित 33 वीं वा षक आम बैठक - बैठक में कार्यवृत्त - त मलनाडु की टिप्प णयां-के संबंध में।

संदर्भ: पत्र संख्या 18072/आईएसडब्लू2/2019-2, दिनांक 3.2.2020

महोदय,

कृपया इस वषय पर ऊपर उद्धृत पत्र का संदर्भ लें। नदियों को आपस में जोड़ने के लए वशेष स मति की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त पर त मलनाडु सरकार के वचारों/टिप्प णयों पर राज वअ के उत्तर को आपकी जानकारी के लए संलग्न कया गया है।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्त

(के.पी. गुप्ता)

निदेशक (तक), राज व

अनुलग्नक-।

त मलनाडु सरकार की टिप्प णयों पर राष्ट्रीय जल वकास अ भकरण (राज वअ) के वचार

क्रमांक	त मलनाडु सरकारकी टिप्प णयां	राज वअ के वचार
क	जहां तक गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनिकट) पर त मलनाडु के वचार प्रस्तुत करने का संबंध है, त मलनाडु सरकार ने दिनांक 04.09.2019 के पत्र संख्या 29811/एसडब्ल्यू2/2017 में राष्ट्रीय जल वकास अ भकरण को अपनी टिप्प णयां/वचार भेजे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 30.09.2019 को माननीय प्रधानमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में कट्टालाई लंक प्वाइंट पर गोदावरी-कावेरी की वस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और वत्तीय मंजूरी देने का अनुरोध कया है। अत: राष्ट्रीय जल वकास अ भकरण से अनुरोध कया जा सकता है क वह वस्तृत परियोजना को शीघ्र अंतिम रूप देने और इस लंक योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लए तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश सरकारों के वचार प्राप्त करे।	एनपीपी के अंतर्गत कावेरी-वैगई-गुंडर लंक परियोजना को पूर्ववर्ती पेन्नार-पलार-कावेरी लंक के माध्यम से ग्रांड एनीकट में सुपुर्दगी कए जाने वाले जल के कुछ हिस्से को वनिमय आधार पर प्रतिस्थापन द्वारा पथांतरण करने का प्रस्ताव कया गया था। उच्च ऊंचाई पर कमांड क्षेत्र और कट्टालाई बैराज के लंक सस्टम के साथ एकीकरण पर चरण II में अरणी नदी क्रॉ संग से कट्टालाई बैराज तक एक शाखा नहर का वस्तार करके आवश्यक मात्रा के लए डजाइन पर वचार कया जाएगा। इससे अ धक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की सेवा करते समय उठाए जाने वाले पानी की मात्रा कम हो जाएगी।
ख	पंबा - अचनकोइल - वैप्पर लंक परियोजना के संबंध में, राष्ट्रीय जल वकास अ भकरण से केरल की सहमति की प्रतीक्षा कए बिना वस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और पूरा करने का अनुरोध कया जा सकता है, जो 21.08.2019 को आयोजित राष्ट्रीय जल वकास अ भकरण सोसाइटी की छठी वशेष आम बैठक में लए गए निर्णय के अनुसार है।	पंबा अचनकोइल-वैप्पर लंक परियोजना का डीपीआर कार्य राज वअ के साथ लंक और उपलब्ध जनशक्ति की प्राथ मकता के आधार पर शुरू कया जाना है।